



## कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/वनकुप-09(2017-18)

724

दिनांक: 21.2.18

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी,, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-12/2016-17 / 113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल रु0 1.231 लाख रु0 की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-12/2016-17 / 113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन के मांग के आलोक में दी जा रही है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BPAEFC/03-17-18/10EFC की मूल प्रति  
अत्र-सह-संलग्न है।  
अनु०- यथो०।

विश्वासभाजन,

2-11-18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

पत्र वितीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BPAEFC/03-17-18/10EFC

दिनांक - 20-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101030101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	97655	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	48,100.00 रुपये अठ्तालीस हजार एक सौ
2	S 19 240601101030213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 02 - यात्रा भत्ते 13 - देशीय वाश भत्ता Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	97656	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	20,000.00 रुपये बीस हजार
3	S 19 240601101030315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	97657	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योग: 93,100.00

क्रमिक योग: रुपये तिरनावे हजार एक सौ

(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forests,

Jharkhand, Ranchi



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101030333 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कूपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	97660	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	10,000.00 रुपये दस हजार
5	S 19 240601101030334 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कूपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 34 - बर्दी Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	97663	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	20,000.00 रुपये बीस हजार


योग:

30,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख लेइस हजार एक सौ

123,100.00

  
(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND RANCHI